

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 4/स्वा.का.पु./2019/168

दिनांक :- 7/2/19

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफडी/नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14(88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.09 एवं दिनांक 05.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वा0 कार्यकर्ता (पुरुष) को उनके नामों के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पदस्थापन जिला	संवर्ग में नियुक्ति दि.	पूर्व सेवावधि वर्ष	एसीपी स्वीकृति दिनांक	पै-बैंड
1	श्री चन्द्रा लाल, अजमेर	12.06.78	27 वर्ष	01.06.07	4000-100-6000

स्वीकृत एसीपी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

नोट:- उक्त कर्मचारी को 27 वर्षीय वयनित वेतनमान का लाभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 24.04.14 प्रभावित होने के कारण दिनांक 12.06.2005 के स्थान पर 01.06.07 से देय होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 4/स्वा.का.पु./2019/168

दिनांक :- 7/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर (अजमेर)।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कक्षा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश पत्रादली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर